न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 136/17
निर्णय दिनांकः— 13.06.2018

1. हुक्माराम पुत्र भूरा
2. रामचन्द्र पुत्र भूरा
3. खेमचन्द पुत्र गणेशराम
4. भैरूलाल पुत्र गणेशराम

समस्त जाति बलाई नि0 पचकोडिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. मूंगाराम पुत्र बोदू
2. रामचन्द्र पुत्र बोदू
3. धन्ना पुत्र बोदू
4. महादेव पुत्र बोदू
   समस्त जाति अहीर (यादव) नि0 पचकोडिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर
5. जुगलकिशोर पुत्र गंगाराम
6. धन्नी पत्नि गंगाराम
   समस्त जाति बलाई नि0 पचकोडिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर
7. तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजीयात ख0नं0 38/1 रकबा 17 विस्वा वाकै पचकोडिया प0ह0 पचकोडिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। उपरोक्त आराजीयात के पड़ौस में आराजीयात ख0नं0 3 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, ख0नं0 37 रकबा 8 विस्वा जो अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 की संयुक्त खातेदारी की है एवं ख0नं0 38/2 रकबा 17 विस्वा वाकै ग्राम पचकोडिया तह0 कि0रेनवाल में स्थित है जो अप्रार्थी सं0 5 व 6 की खातेदारी में अंकित है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 6 पड़ौसी काश्तकार है रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 38/1 अप्रार्थीगण की आराजीयात के लगवा है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी अनाधिकृत रूप से दबाना चाहता है व सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 17.12.16 को तहसीलदार कि0रेनवाल के आदेश क्रंमाक ए0आ0/16/4028 दिनांक 09.11.16 की पालना में दिनांक 17.12.16 को पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के जरिये उपस्थित मौजबिरान के समक्ष सीमाज्ञान करके पत्थर लगाकर निशान कायम करने लगे तो अप्रार्थीगण विवाद करने लगे

Scanned by CamScanner

एवं सम्पूर्ण रकबें की सीमा पर निशानात लगाने में व्यवधान पैदा किया ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के लिए यह प्रा0पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 4 की ओर से वकील श्री श्रवण जाखड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 7 की ओर से राज पेरोकार नायब तहसीलदार कि0रेनवाल उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं0 5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 7 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 में न्यायालय हाजा में पेश हुयी। अप्रार्थी सं0 5 ने उपस्थित होकर नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी की प्रति पेश कर पत्थरगढ़ी हेतु सहमत है एवं वकील अप्रार्थीगण भी सहमत है।

न्यायालय ने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थीगण ने अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण ने अपनी आराजी का दिनांक 17.12.2016 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।

निर्णय

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 38/1 रकबा 17 विस्वा वाकै पचकोडिया प0ह0 पचकोडिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.12.2016 के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार कि0रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत न्यायालय हाजा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक
सांभरलेक

Scanned by CamScanner